न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 211/2014

दर्ज दिनांकः 08/10/2014

निर्णय दिनांकः 17/11/2017

लोकेश पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासीः मकान नंबर 232, गायत्री नगर–बी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रवण पुत्र सोहनलाल
2. श्योप्रसाद पुत्र सोहनलाल
3. राजू पुत्र सोहनलाल
4. प्रभुदयाल पुत्र गोपी
5. बाबूलाल पुत्र गोपी
6. चिरंजीलाल पुत्र गोपी
7. सुमन पुत्री बाबूलाल
8. कमलेश पुत्र बाबूलाल

   समस्त जाति बैरवा, निवासीः बीडरामचन्द्रपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

9. नाथी देवी धर्मपत्नि भूराराम जाति बलाई निवासीः नयाबास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल निवासीः प्लॉट नंबर 17, करतारपुरा बाईस गोदाम, जयपुर।
10. उमेश नरानिया पुत्र चन्दालाल जाति खटीक निवासीः दालमिल के सामने, शिकारपुरा रोड, सांगानेर जयपुर।
11. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

12. उपपंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने उनवानी वाद विरूद्व प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमे प्रार्थी को सफलता की पूरी—पूरी आशा है। प्रार्थी पुश्तैनी आराजी खतौनी संख्या 77 के खसरा नंबर 3/3421, 3/3442 जिनके वर्तमान नवीन खसरा नंबर 3501/3 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 3502/3 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 3503/3 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 3/3442 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 3/3421 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बीडरामचन्द्रपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज. में स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का 1/24—1/24 हिस्सा है एवं मौके पर हिस्सेनुसार काबिज काश्त होकर सरकारी लगान जमा कराते चले आ रहे है। आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त हिन्दू परिवार की मौरूसा पैतृक सम्पत्ति है व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त स्व. चन्दा की पर्चेशुदा आराजी है जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की पुश्तैनी आराजी है तथा विवादित आराजी को मौके पर अपने हिस्सेनुसार भाई बंटवारा कर रखा है। प्रार्थी के दादा स्व. चन्दा के स्वर्गवास के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके जायन्दा पुत्रो गोपी व सोहनलाल दोनो भाईयो के बराबर—बराबर खुलना चाहिये था तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी बराबर—बराबर इन्द्राज होना चाहिये था लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता सोहनलाल द्वारा तथाकथित बनावटी वसीयत के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करवा दिया जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 7 ल. 8 को अपने दादा से मिलने वाला विरासतन हिस्से से वंचित होना पड रहा है। विवादित आराजी स्व. चन्दा की पर्चेशुदा आराजी होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की पैत्रिक सम्पत्ति है एवं

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की पैत्रिक सम्पत्ति होने से प्रार्थी अपना हिस्सा पाने का अधिकारी है उक्त हिस्से को तथाकथित बनावटी वसीयत से सोहनलाल व अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 राज कर्मचारियो से सांजकर बिना किसी वारिस के जांच किये नामान्तकरण सोहनलाल के हक में तस्दीक कर दिया जबकि किसी भी सम्पत्ति को कानूनन रजिस्टर्ड दस्तावेज के बिना हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता ने बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के ही उक्त नामान्तकरण तथाकथित बनावटी वसीयत के आधार पर अकेले अपने पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया इसलिये नामान्तकरण संख्या 620 दिनांक 17.06.1984 विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के दादा सीधे सादे व्यक्ति थे एवं स्व. सोहनलाल राजकार्य करता था एवं आराजी संयुक्त परिवार में रहते हुये काश्तकार एवं राजस्व रिकॉर्ड की कभी स्व. गोपी व प्रार्थी ने कभी जानकारी नहीं की एवं आराजी हिस्सेनुसार शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थी द्वारा पटवार हल्का से आराजी रिकॉर्ड की जानकारी की तो तब प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम न होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम आराजी का इन्द्राज होने का ज्ञान हुआ स्व. चन्दा से अपने परदादा से अब तक राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को अपनी पुश्तैनी आराजी के हक व अधिकार से वंचित कर रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है व विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को चुपचाप बेचान कर प्रार्थी को अपनी पुश्तैनी आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 15.01.2013 को प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में हुयी गलती को दुरूस्त कर आराजी को हिस्सेनुसार नाम लगवाने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को कहां तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने साफ इंकार कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी कि आराजी हमारे नाम है हम इसे ऐसे व्यक्ति को बेचान करेगे जो तुम्हे तुम्हारे कब्जे से बेदखल कर देगा इसलिए प्रार्थी को अपने हक हकूको की रक्षार्थ हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्व यह वाद घोषणा व अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण आपसी विश्वास की वजह से राजस्व रिकॉर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया एवं आराजी हिस्सेनुसार काश्त करते चले आ रहे है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होने के

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

कारण बेचान कर प्रार्थी को अपने हक व अधिकारो से वंचित करना चाहते है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी एवं खर्चे से जेरबार होना पडेगा व परिवार में मनमुटाव उत्पन्न होगे इसलिये अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। विवादित आराजी प्रार्थी के परदादा की पर्चेशुदा आराजी है एवं आराजी पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण प्रार्थी खातेदार काश्तकार है हिन्दू एक्ट के अनुसार प्रार्थी का कानन हिस्सा बनता है इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की अपनी पैत्रिक कब्जेशुदा आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत स्वयं न करे, न अन्य से करावे, आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, मुन्तकिल बेचान आदि नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की तहरीर अप्रार्थी संख्या 11 व 12 को भिजवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 08.12.2016 को वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सी. पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनां 17.01.2017 को वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी पर बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया गया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र, मूल वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थी द्वारा गलत हिस्से अनुसार अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का कथन कर, वाद के माध्यम से वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

घोषणा चाही है जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहा है।

वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा है अथवा नहीं इस बिन्दु का निर्धारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। वादग्रस्त आराजीयात के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी को कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी बमुकाबिले प्रार्थी अप्रार्थी प्रबल है। न्यायहित में मेरे विनम्र मतानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी
मुद्रा
जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी